19-10-14 ~~प्रभात खबर~~ दैनिक जागरण

पंचायत रोजगार सेवकों को राहत

नियुक्ति में 25% अंक व उम्र सीमा में सात साल की ढील

राज्य ब्यूरो, पटना : संविदा पर काम कर रहे पंचायत रोजगार सेवकों को नियमित नियुक्ति में 25 प्रतिशत अंकों की छूट मिलेगी। उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में भी सात साल की छूट दी जाएगी। यह घोषणा शनिवार संध्या ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एसएम राजू ने धरना स्थल पर पहुंच कर की। अपनी सेवा नियमित किए जाने की मांग को लेकर पंचायत सेवक पिछले एक सप्ताह से कारगिल चौक पर धरना पर बैठे थे।

राजू ने कहा कि संविदा पर कार्य कर रहे कर्मियों की सेवा नियमित करने का पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल ही निर्णय लिया था। शर्त यह है कि संविदा पर काम कर रहा कर्मी संबंधित पद के लिए वांछित योग्यता रखता हो। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस सिलसिले में गंभीर हैं। पंचायत रोजगार सेवकों की मांग पर शुक्रवार को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री के बीच बैठक हुई। दोनों मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने विमर्श के बाद नियुक्ति में छूट देने संबंधी फैसला लिया है। बताते चलें कि नियमित नियुक्ति के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। प्रधान सचिव की घोषणा का स्वागत करते हुए आंदोलन कर रहे पंचायत रोजगार सेवकों ने धरना समाप्त कर दिया।

पंचायत रोजगार सेवकों को जूस पिलाकर धरना खत्म कराते पदाधिकारी